

क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML IV, V(2017), I(2018) / 1033 दिनांक 15.03.2018

### कार्यालय आदेश

निदेशालय द्वारा जारी नीलामी विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML IV)/2017/1616 दिनांक 10.11.2017 में क्र.स. 2 से 9 पर वर्णित खनि अभियन्ता, जयपुर कार्यालय क्षेत्राधिकार के प्लॉट क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9, नीलामी विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML V)/2017/1729 दिनांक 21.11.2017 में क्र.स. 1 से 8 पर वर्णित खनि अभियन्ता, बीकानेर कार्यालय क्षेत्राधिकार के प्लॉट क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8, तथा नीलामी विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML I)/2018/69 दिनांक 2.1.2018 में क्र.स. 126 से 131 पर वर्णित खनि अभियन्ता, उदयपुर कार्यालय क्षेत्राधिकार के प्लॉट क्रमांक 13, 14, 15, 16, 17 एवं 18, क्र.स. 132 एवं 133 पर वर्णित खनि अभियन्ता, आमेत कार्यालय क्षेत्राधिकार के प्लॉट क्रमांक 26 एवं 27, क्र.स. 134 से 144 पर वर्णित खनि अभियन्ता, जैसलमेर कार्यालय क्षेत्राधिकार के प्लॉट क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, क्र.स. 145 पर वर्णित सहायक खनि अभियन्ता, सावर के प्लॉट क्रमांक 10 को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है। उक्त प्लॉटों के सम्बन्ध में बोलीदाताओं द्वारा यदि नीलामी शुल्क व बिड प्रतिभूति राशि जमा करा दी गई हो तो उक्त राशि सेवाप्रदाता कम्पनी एम.एस.टी.सी. लि. द्वारा रिफण्ड कर दी जायेगी



(एन.के. कोठारी)

अतिरिक्त निदेशक (खान) मु.

क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML IV, V(2017), I(2018) / 1034-1035 दिनांक 15.03.2018  
प्रतिलिपि :-

1. Sh. Dinesh Kumar Meel, Dy. Manager, MSTC LTD. Jaipur को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश का वेबसाईट पर प्रकाशन तत्काल किया जाकर सम्बन्धित बोलीदाताओं को उनके द्वारा जमा कराई गई नीलामी शुल्क तथा बिड प्रतिभूति राशि अविलम्ब सम्बन्धित बोलीदाताओं को लौटाने की कार्यवाही करावें।
2. नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., के.का., उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश का वेबसाईट पर प्रकाशन तत्काल किया जाना सुनिश्चित करावें।



(ओ.पी. काबरा)

अधीक्षण खनि अभियन्ता (नी.प्र.)